of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Global Steel Tubes Limited, 302, 3rd Floor, Padma Tower-I, Rajendra Place, New Delhi-110 008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,34,450 (Rs. One Lac Thirty Four Thousand Four Hundered Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 13,44,50,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos.21600001 to 35045000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (696)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5904.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स प्रेह रिन्यूऐबल एनर्जी प्रा. लि., 28, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली-110 021, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,34,59,813 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 110002 से 183335 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,33,460 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार चार सौ साठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(696)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5904.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Preah Renewable Energy Private Limited, 28, Sardar Patel Marg, New Delhi-110 021 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,33,460 (Rs. One Lac Thirty Three Thousand Four Hundred Sixty) only on the aggregate value of shares of Rs. 13,34,59,813 for equity share certificates with distinctive Nos. 110002 to 183335 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (708)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5908,—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स जय पोलीकोम इंडिया लि., ए-101, लाजपत नगर-1,
नई दिल्ली-110 024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 34,50,50,000
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3949501 से 4639600
है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,45,050 (रुपये तीन लाख
पँतालीस हजार पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान
उक्त कम्पनी करेगी।

J. K. DADU, Secy. (I & F)

## कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

### आदेश

दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

सं. फा. 10 (757)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/5903.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सूर्या ग्लोबल स्टील टयूब्स लि., 302, तीसरी मंजिल, पदमा टावर-1, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110 008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,44,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 21600001 से 35045000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,34,450 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार चार सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

# OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

#### **ORDERS**

Delhi, the 6th July, 2009

No. F. 10(757)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5903.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry

No. F. 10(708)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5908.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jay Polychem India Limited, A-101, Lajpat Nagar-I, New Delhi-110 024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,45,050 (Rs. Three Lac Forty Five Thousand Fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 34,50,50,000 for equity share certificate with distinctive Nos. 3949501 to 4639600 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (753)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु,/08/5909.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बंसल क्रेडिट्स लि., 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दिरागंज, नई दिल्ली-110 002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,19,64,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर (सीरीज आई एण्ड जे) जिनकी पृथक संख्या 62184 से 94147 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 31,964 (रुपये इक्कतीस हजार नौ सौ चौंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(753)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5909.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110 002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 31,964 (Rs. Thirty One Thousand Nine Hundred Sixty Four) only on the aggregate value of debentures of Rs. 3,19,64,000 for issue of secured redeemable, Non Convertible debentures Series 'I' & 'J' bearing distinctive Nos. 62184 to 94147 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (672)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5910.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इफको किसान सेज लि., इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110 017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 25,00,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या

000001 से 250000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,500 (रुपये दो हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(672)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5910.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFFCO Kishan Sez Limited, IFFCO Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110 017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,500 (Rs. Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 000001 to 250000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (745)/मु. स. (मुख्या)/स.शु,/08/5912.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स टॉरस एजेट मेनेजमेंट कम्पनी लि., तीसरी मंजिल, डीसीएम
बिल्डिंग, 16 बाराखम्बा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110 001,
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों
जिनकी पृथक संख्या 1 से 1000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(745)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5912.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Taurus Asset Company Limited, 3rd Floor, DCM Building, 16, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000 (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000 for preference share certificates with distinctive Nos. 01 to 1000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (743)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5914.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स फुरूकवा सांग्यो केशा इंडिया प्रा. लि., 806, आठवीं

नंजिल, अंतरिक्ष भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 35,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 350000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,500 (रुपये तीन हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(743)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5914.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Furukawa Sangyo Kaisha India Private Limited, 806, 8th Floor, Antariksh Bhawan, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,500 (Rs. Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 35,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 601 to 350000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (752)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5915.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एथेना एनर्जी वेनचर्स प्रा. लि., हाल नं. 1, पहली मंजिल, एनबीसीसी टावर, 15-भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 40,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 150000001 से 190000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,00,000 (रुपये चार लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(752)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5915.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Athena Energy Ventures Private Limited, Hall No. 1, 1st Floor, NBCC Tower, 15-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,00,000 (Rs. Four Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 40,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 150000001 to 1900000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (763)/मु, स. (मुख्या)/स.शु,/08/5917.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स अनंत राज प्रोजेक्टस लि., एआरए सेन्टर, ई-2, झंडेवालान एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-110055, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,82,97,300 मूल्य के नान कनवर्टीबल डिबेन्चर जिनकी पृथक संख्या 001 से 282973 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 70,744 (रुपये सत्तर हजार सात सौ चवालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(763)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5917.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Anant Raj Projects Limited, ARA Centre, E-2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 70,744 (Rs. Seventy Thousand Seven Hundred Forty Four) only on the aggregate value of debentures of Rs. 2,82,97,300 for issue of Non Convertible Debentures bearing distinctive Nos. 001 to 282973 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (740)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5920.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स एक्जेक्ट डवलपर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा. लि., ई-42/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,61,79,955 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6000001 से 12067426 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,06,180 (रुपये एक लाख छ: हजार एक सौ अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(740)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5920.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Exact Developers & Promoters Private Limited, E-42/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,06,180 (Rs. One Lac Six Thousand One Hundred Eighty) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,61,79,955 for equity share certificates with distinctive Nos. 6000001 to 12067426 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (605)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5921.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तवों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स न्यू सीटी ऑफ बोम्बे एमएफजी. मिल्स लि., कोर 4, पांचवीं मंजिल, स्कोप कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 59,67,46,920 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 9170000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,96,747 (रुपये पांच लाख छयानबे हजार सात सौ सैंतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(605)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5921.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. New City of Bombay Mfg. Mills Limited, Core 4, 5th Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,96,747 (Rs. Five Lac Ninety Six Thousand Seven Hundred Forty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 59,67,46,920 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 9170000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (603)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5922.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इंडिया युनाइटेड टैक्सटाइल मिल लि., कोर 4, पांचवीं मंजिल, स्कोप कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,17,47,87,482 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 12711000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 11,74,788 (रुपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार सात सौ अटठासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(603)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5922.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India United Textile Mill Limited, Core 4, 5th Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 11,74,788 (Rs. Eleven Lac Seventy Four Thousand Seven Hundred Eighty Eight) only on the

aggregate value of shares of Rs. 1,17,47,87,482 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 12711000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (583)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5923.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स गोल्डमोहर डिजाइन एण्ड अपरैल पार्क लि., कोर 4, पांचवीं मंजिल, स्कोप कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 64,98,30,285 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 5850000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,49,831 (रुपये छ: लाख उनचास हजार आठ सौ इक्कतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(583)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5923.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Goldmohur Design and Apparel Park Limited, Core 4, 5th Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,49,831 (Rs. Six Lac Forty Nine Thousand Eight Hundred Thirty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 64,98,30,285 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 5850000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (604)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5924.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स अपोलो डिजाइन अपरैल पार्क्स लि., कोर 4, पांचवीं
मंजिल, स्कोप कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, द्वारा
जारी किए जाने वाले रुपये 67,88,03,430 मूल्य के इक्विटी शेयरों
जिनकी पृथक संख्या 1 से 5650000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
रुपये 6,78,804 (रुपये छ: लाख अठहत्तर हजार आठ सौ चार)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(604)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5924.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Apollo Design Apparel Parks Limited, Core 4, 5th Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,78,804 (Rs. Six Lac Seventy Eight Thousand Eight Hundred Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 67,88,03,430 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 5650000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (606)/मु, स. (मुख्या)/स.शु./08/5925.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स औरंगाबाद टैक्सटाइल्स एण्ड अपरेल पार्क्स लि., कोर 4,
पांचवीं मंजिल, स्कोप कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003,
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,05,98,416 मूल्य के इिक्वटी
शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 2080000 है, पर लगने वाले मुद्रांक
शुल्क रुपये 1,30,599 (रुपये एक लाख तीस हजार पांच सौ निन्यानबे)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Aurangabad Textiles and Apparel Parks Limited, Core 4, 5th Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,30,599 (Rs. One Lac Thirty Thousand Five Hundred Ninety Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 13,05,98,416 for equity

share certificates with distinctive Nos. 1 to 2080000 to be

issued by the said company.

No. F. 10(606)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5925.—

सं फा. 10 (741)/मु स. (मुख्या)/स.शु/08/5928.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स रियेटर इंडिया प्रा. लि., 308, हेमकुन्ट टावर, 98, नेहरू
प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये
32,59,47,250 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1653867
से 2582747 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,25,948 (रुपये
तीन लाख पच्चीस हजार नौ सौ अड़तालीस) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(741)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5928.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rieter India Private Limited, 308, Hemkunt Tower 98, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,25,948 (Rs. Three Lac Twenty Five Thousand Nine Hundred Forty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 32,59,47,250 for equity share certificates with distinctive Nos. 1653867 to 2582747 to be issued by the said company.

## दिल्ली, जुलाई 8, 2009 सं. फा. 10 (750)/मु.स. (मुख्या)/स.शू./08/5939.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स फ्लोवेल मेकामिडी एनर्जी प्रा. लि., एम-27, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 45,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4400001 से 4850000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,500 (रुपये चार हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th July, 2009

No. F. 10(750)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5939.--

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Flovel Mecamidi Energy Private Limited, M-27, Greater Kailash Part-II, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,500 (Rs. Four Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 45,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 4400001 to 4850000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (759)/मु स (मुख्या)/स.शु./08/5941,—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स रोकमेन ब्रेवरीज (टीएनके) लि., के-15, होजखास, नई
दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,77,00,000 मूल्य
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3227620 से 3449220 है, पर
लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 27,700 (रुपये सत्ताईस हजार सात
सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी

No. F. 10(759)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5941.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rockman Breweries (TNK) Limited, K-15, Hauz Khas, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 27,700 (Rs. Twenty Seven Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,77,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 3227621 to 3449220 to be issued by the said company.

दिल्ली, जुलाई 9, 2009

सं. फा. 10 (758)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5982.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स स्नोफ्लेक्स मेडिटेक प्रा. लि., 64/1, एम.बी. रोड, नियर कम्युनिटी सेंटर, लाडो सराय, नई दिल्ली-110030, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,95,200 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी-1226391 से पी-1285910 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 596 (रुपये पांच सौ छयानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 9th July, 2009

No. F. 10(758)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5982.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Snowflakes Meditech Private Limited, 64/1, M.B. Road, Near Community Centre, Lado Sarai, New Delhi-110030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 596 (Rs. Five Hundred Ninety Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,95,200 for preference share certificates with distinctive Nos. P-1226391 to P-1285910 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (754)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/5983.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्रधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स वेटनेक्स एनिमल हेल्थ प्रा. लि., ए-3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-I, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 50000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 400 (रुपये चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से.

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

No. F. 10(754)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5983.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vetnex Animal Health Private Limited, A-3, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 400 (Rs. Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10001 to 50000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)